न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास – मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 84/2022

प्रार्थी बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर	1 गिरधारी राम प्रजापत पुत्र मोहनराम निवासी गांव झगडवास, वार्ड नम्बर 24, तहसील डेगाना जिला नागौर फर्मः– मैसर्स प्रजापत किराणा स्टोर, रेल्वे स्टेशन के पास, डेगाना जं. जिला नागौर। 2 बिरदीचंद भूतडा पुत्र भंवरलाल भूतडा निवासी 129 वार्ड नम्बर 4 राम मेडिकल के पीछे गोरेडी चाचा तहसील डेगाना। फर्मः–मैसर्स श्री राम ट्रेडिंग कं. सदर बाजार डेगाना (बी–16 मण्डी यार्ड डेगाना) 3 राहूल मंत्री पुत्र रामगोपाल मंत्री निवासी बाहरठ की हवेली के पास, शाहपुरा भीलवाडा। फर्मः– मैसर्स मंत्री ऑयल, डाक बंगला के पास, भीलवाडा रोड, शाहपुरा जिला भीलवाडा 4 फर्मः– मैसर्स मंत्री ऑयल, डाक बंगला के पास, भीलवाडा रोड, शाहपुरा जिला भीलवाडा 311404

आदेश

दिनांक :27.07.23

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 22-03-22 को मैसर्स प्रजापत किराणा स्टोर, रेल्वे स्टेशन के पास, डेगाना जं. जिला नागौर पर खाद्य पदार्थ सोयाबीन तेल (आर.आर. फ्रेस) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 1840 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/553/एक्ट/2022/403 दिनांक 01.04.22 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना खाद्य पदार्थ सोयाबीन तेल (आर.आर. फ्रेस) मिसब्राण्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण गिरधारी राम प्रजापत पुत्र मोहनराम निवासी गांव झगडवास, वार्ड नम्बर 24, तहसील डेगाना जिला नागौर, बिरदीचंद भूतडा पुत्र भंवरलाल भूतडा निवासी 129 वार्ड नम्बर 4 राम मेडिकल के पीछे गोरेडी चाचा तहसील डेगाना, राहूल मंत्री पुत्र रामगोपाल मंत्री निवासी बाहरठ की हवेली के पास, शाहपुरा भीलवाडा तथा मैसर्स मंत्री ऑयल, डाक बंगला के पास, भीलवाडा रोड, शाहपुरा जिला भीलवाडा 311404 ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंधन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 14-11-22 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने दिनांक 09.01.23 को अपना जवाब प्रस्तुत कर जुर्म स्वीकार किया। अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने मेरी फर्म से सोयाबीन तेल का सैम्पल लिया जो जांच में मिसब्राण्ड होना पाया गया, मैं उक्त तेल मैसर्स श्री राम ट्रेडिंग क. सदर बाजार डेगाना के यहां से खरीदता हूं। भविष्य में तेल खरीदते व बेचते समय ऐसी गलती नहीं करूंगा। अप्रार्थी संख्या 02 ने अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने मैसर्स प्रजापत किराणा स्टोर, से तेल का सैम्पल लिया था जो जांच में मिसब्राण्ड होना पाया गया, उक्त तेल मेरी फर्म द्वारा बेचा गया था जो मैंनें मैसर्स मंत्री ऑयल, डाक बंगला के पास, भीलवाडा रोड, शाहपुरा जिला भिलवाडा के यहां से खरीदता हूं। भविष्य मे तेल खरीदते व बेचते समय ध्यान में रखकर तत्पश्चात बेचेंगे। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने दोष मुक्त करवाने एवं कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया है तथा अप्रार्थी संख्या 03 व 04 बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहे।

3. पत्रावली पर उपल्बध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या क्रमांक एलएस/553/एक्ट/2022/403 दिनांक 01.04.22 के अनुसार खाद्य पदार्थ सोयाबीन तेल (आर.आर. फ्रेस) का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया है। इसलिये अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 01 गिरधारी राम प्रजापत पुत्र मोहनराम निवासी गांव झगडवास, वार्ड नम्बर 24, तहसील डेगाना जिला नागौर पर रूपये 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये, अप्रार्थी संख्या 02 बिरदीचंद भूतडा पुत्र भंवरलाल भूतडा निवासी 129 वार्ड नम्बर 4 राम मेडिकल के पीछे गोरेडी चाचा तहसील डेगाना पर रूपये 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये, अप्रार्थी संख्या 03 राहूल मंत्री पुत्र रामगोपाल मंत्री निवासी बाहरठ की हवेली के पास, शाहपुरा भीलवाडा तथा अप्रार्थी संख्या मैसर्स मंत्री ऑयल, डाक बंगला के पास, भीलवाडा रोड, शाहपुरा जिला भीलवाडा 311404 पर संयुक्त रूप से रूपये 20,000/– अक्षरे बीस हजार रूपये, कुल रूपये 40,000/– अक्षरे चालिस हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थीगण को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थीगण से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)